S.T.D. 0581
2527263, 2521122
2527282, 2523378

महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

बरेली - 243 006 (भारत)
BAREILLY-243 006 (INDIA)

पत्रांक : रू.वि./प.नि.का./2023/ 4095—4100 | दिनांक : 20.11.2023

सेवा में,

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
सम्बद्ध एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली

विषय :- महाविद्यालय द्वारा एन.ई.पी. 2020 से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रम में विषय संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में,

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में एन.ई.पी. 2020 से आच्छादित स्नातक स्तर पर प्रत्येक सेमेस्टर में छात्रों द्वारा चुने गये विषयों के अनुसार परीक्षा फार्म को सत्यापित करने का दायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्राचार्यों का है। किन्तु खेद का विषय है कि स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश के दौरान प्रारम्भ से अन्त तक विषयों में संशोधन का विकल्प दिये जाने के निर्देश के पश्चात् भी आपके द्वारा विषयों को भलीभांति सत्यापित नहीं किया गया, जिससे छात्रों को परीक्षाफार्म भरने में कठिनाई आने की सम्भावना रहती है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके द्वारा विषयों का भलीभांति न तो परीक्षण किया जाता है और न ही उनका सत्यापन। उक्त के दृष्टिगत महाविद्यालयों को विषयों में संशोधन करने का एक अन्तिम अवसर दिनांक 28.11.2023 तक निम्नवत् प्रदान किया जाता है :-

1. ऐसे छात्र/छात्रा जिन्हें स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विषयों में संशोधन करना है, परीक्षा फार्म भरकर महाविद्यालय स्तर (मुख्य/गौंण/व्यावसायिक विषयों) पर विषय संशोधन करा सकते हैं। कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय स्तर पर अपेक्षित नहीं है।
2. ऐसे स्नातक तृतीय सेमेस्टर के छात्र जिन्हें अपने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन कराना हो, महाविद्यालय स्तर पर संशोधन करा सकते हैं। कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय स्तर पर अपेक्षित नहीं है।
3. ऐसे स्नातक पंचम सेमेस्टर के छात्र जिन्हें अपने मुख्य विषय में कोई परिवर्तन कराना हो, महाविद्यालय स्तर पर संशोधन करा सकते हैं। कोई भी संशोधन विश्वविद्यालय स्तर पर अपेक्षित नहीं है।

इसके उपरान्त कोई भी विषय संशोधन का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है। किसी भी दशा में छात्रों से उक्त तिथि तक संशोधन शुल्क लिये जाने की अनुमति महाविद्यालयों का नहीं होगी।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त अधिकारी।
2. मीडिया प्रभारी।
3. उप-कुलसचिव (परीक्षा)।
4. प्रभारी, केन्द्रीय कम्प्यूटर/विश्वविद्यालय बेवसाइट।
5. निजी सचिव-कुलपति, मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
6. वै.सहा. कुलसचिव।

परीक्षा नियंत्रक